

झारखण्ड सरकार,  
विधि विभाग,  
झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, राँची-834004

—: अधिसूचना ::—

एस0 ओ0—

राँची, दिनांक- 17/3/2017

झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2015 की धारा-35(1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, झारखण्ड उच्च न्यायालय के परामर्श से प्राधिकार के स्थापना होने तक प्रमण्डलीय स्तर पर न्यायायुक्त, राँची, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग, मेदिनीनगर(पलामू), दुमका एवं पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) को भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार के रूप में कार्य करने हेतु घोषित करती है, जिसका क्षेत्राधिकार क्रमशः दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल एवं कोल्हान प्रमंडल की स्थानीय सीमाएँ होंगी।

2. यह अधिसूचना दिनांक-23.11.2016 से प्रभावी माना जायेगा।

(बी0/विधि-कोर्ट गठन-21/2017-560/जे0)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(दिनेश कुमार सिंह)

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी  
विधि विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:- बी0/विधि-कोर्ट गठन-21/2017-560/जे0, राँची, दिनांक-17-3-2017.

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची को अग्रसारित करते हुए अनुरोध किया जाता है कि इसे झारखण्ड राज्य के असाधारण गजट में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी 50(पचास) प्रतियाँ विधि विभाग, झारखण्ड, राँची को भेजी जाय।

(दिनेश कुमार सिंह)

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी  
विधि विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:- बी0/विधि-कोर्ट गठन-21/2017-560/जे0, राँची, दिनांक-17/3/2017.

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/महानिबंधक, माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची को उनके पत्रांक-5645/ए.पी.पी.टी.टी., दिनांक-23.11.2016 के प्रसंग में/माननीय राज्यपाल महोदया के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश(न्यायायुक्त, राँची सहित)/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/विधि विभाग(स्थापना एवं बजट शाखा), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दिनेश कुमार सिंह)

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी  
विधि विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार,  
विधि विभाग,  
झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, राँची-834004

--: अधिसूचना ::-

एस0 ओ0-

राँची, दिनांक- 17/3/2017

निम्नांकित अंग्रेजी भाषानुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा अंकित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड-(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(बी0/विधि-कोर्ट गठन-21/2017-560/जे0)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(दिनेश कुमार सिंह)

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी  
विधि विभाग, झारखण्ड, राँची।

**--: NOTIFICATION ::-**

S.O.

In exercise of powers conferred by proviso of Rule 35(1) of the Jharkhand Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rules, 2015, the State Government in consultation with the High Court of Jharkhand, Ranchi, is pleased to declare the Courts of Judicial Commissioner, Ranchi, Principal District and Sessions Judge of Hazaribagh, Medininagar(Palamau), Dumka and West Singhbhum(Chaibasa) to act as Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority till the establishment of the said Authority at Commissionary level. Their jurisdiction shall be the local limits of the Commissionaries of South Chhotanagpur, North Chhotanagpur, Palamau, Santhal Pargana and Kolhan respectively.

2. This Notification would be effective from 23<sup>rd</sup> November, 2016.

(File No.- B/Vidhi/Court Gathan-21/2017- 560 /J)

By the order of Governor of Jharkhand

(Dinesh Kumar Singh)

Principal Secretary-cum-L.R.  
Law Department,  
Government of Jharkhand.

ज्ञापांक:- बी0/विधि-कोर्ट गठन-21/2017- 560 /जे0, राँची, दिनांक- 17/3/2017.

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची को अग्रसारित करते हुए अनुरोध किया जाता है कि इसे झारखण्ड राज्य के असाधारण गजट में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी 50(पचास) प्रतियाँ विधि विभाग, झारखण्ड, राँची को भेजी जाय।

(दिनेश कुमार सिंह)

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी  
विधि विभाग, झारखण्ड, राँची।

(कृ0पृ0उ0)

ज्ञापांक:- बी0/विधि-कोर्ट गठन-21/2017- 560 /जे0, राँची, दिनांक- 12/3/2017.

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/महानिबंधक, माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची को उनके पत्रांक-5645/ए.पी.पी.टी.टी., दिनांक-23.11.2016 के प्रसंग में/माननीय राज्यपाल महोदया के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश(न्यायायुक्त, राँची सहित)/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/विधि विभाग(स्थापना एवं बजट शाखा), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दिनेश कुमार सिंह)  
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी